

डुप्लीकेट पास बुक जारी करने के लिए आवेदन

क्रम. संख्या	विवरण	खाता धारक द्वारा भरे जाने हेतु
1	खाता संख्या और राष्ट्रीय (अल्प) बचत योजना का प्रकार	
2	खाते का प्रकार (अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति/एकल/संयुक्त खाता)	
3	डाकघर का नाम जिसमें खाता है SOL ID सहित	
4	यदि खाता शाखा डाकघर में है, शाखा डाकघर का नाम	
5	खाताधारक/खाताधारकों के नाम	
6	पति/माता/पिता/संरक्षक का नाम	
7	खाता खोले जाने के समय खाताधारक का पता	
8	खाताधारक का वर्तमान पता	
9	खाता खोले जाने की तारीख तथा डाकघर का नाम, जहाँ खाता खोला गया था (यदि उपरोक्त क्रम संख्या 3 सेअलग हो) ।	
10	खाते में अंतिम लेन-देन की तारीख और विवरण	
11	अंतिम लेन-देन के समय खाते में अतिशेष	
12	डाकघर का नाम, जिसमें खाता अंतिम बार स्थानांतरित किया गया था ।	
13	पासबुक गुम होने की तारीख और परिस्थितियाँ और इसका पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम ।	
14	क्या पासबुक गुम होने की सूचना पुलिस को दी गई थी, यदि हाँ, तो उसका परिणाम ।	
15	टिप्पणी, यदि कोई हो	

- उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है । कृपया डुप्लीकेट पासबुक जारी करें ।
- मैं/हम इस पासबुक को लौटा दूंगा/देंगे (यदि पासबुक फटी/खराब पासबुक की एवज में जारी की जा रही हो)।
- निर्धारित फीस का भुगतान (Rs. 50 + GST) रसीद संख्या दिनांक के माध्यम से किया गया है ।
(यदि शुल्क से छूट दी गई हो तो इसे काट दे)

नोट:-1. केवाईसी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें ।

- संयुक्त खाते के मामले में सभी संयुक्त खाताधारकों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं ।

खाताधारक (कों)/ संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान

आवेदन में दिये गये विवरण का सत्यापन रिकार्ड के साथ किया गया है ।

उपडाकपाल/डाकपाल के हस्ताक्षर और मोहर

भाग-II

डुप्लीकेट पासबुक जारी की जा सकती है / नहीं की जा सकती है ।

डाकपाल के हस्ताक्षर और मोहर

भाग-III

खाता संख्या जिसमें अतिशेषरु है, दिनांक को प्राप्त की ।

तारीख मोहर

खाताधारक(कों)/ संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

साक्षी (अशिक्षित खाताधारक(कों) की स्थिति में)

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी का नाम और पूर्ण पता